



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 767) पटना, बुधवार, 21 सितम्बर, 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2022

एस० ओ० 189, दिनांक 21 सितम्बर, 2022—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 147 दिनांक 7 सितम्बर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i). क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"4	एभिऐशन टरबाईन फ्यूल (क्र० सं० 4क तथा 4ख की प्रविष्टियों को छोड़कर)	29.00	—
----	--	-------	---

(ii). क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"4क	एभिऐशन टरबाईन फ्यूल (RCS एयरपोर्ट पर तथा प्रान्त के भीतर अवस्थित अन्य एयरपोर्ट से RCS उड़ानों के लिए)	1.00	वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 143 दिनांक 5 फरवरी, 2018 में अधिसूचित शर्तों के अधीन।
4ख	एभिऐशन टरबाईन फ्यूल (गया हवाई अड्डा पर)	4.00	—

2. यह अधिसूचना निर्गमन तिथि के अगले दिन से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2021-2586)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 सितम्बर, 2022

एस० ओ० 189, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2021-2586)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st September, 2022

S.O. 189, Dated 21st September, 2022--In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 147, Dated 7th September, 2017, namely:-

(i). for S.No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

“4	Aviation turbine fuel (Other than those covered by entries 4A and 4B)	29.00	—”
----	---	-------	----

(ii). After S.No. 4 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“4A	Aviation turbine fuel (At RCS airports and for RCS flights from other airports located within the state)	1.00	Subject to the conditions notified in Commercial Taxes Department notification no. S.O. 143 Dated 05 February, 2018.
4B	Aviation turbine fuel (At Gaya Airport)	4.00	—”

2. This notification shall come into force from the next day of its issuance.

[(F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2021-2586)]

By the order of Governor of Bihar

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax - Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 767-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>